

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार-I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 93/2024 GCMS 2024/173

**वादीया :-**

1. भंवरी पुत्री कासम पत्नी भंवर जाति ईलाई मुस्लिम उम्र 74 वर्ष निवासी मेहरो का मोहल्ला मारोट तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

**प्रतिवादीगण :-**

1. लियाकत अली पुत्र कासम
2. मोहम्मद रफीक पुत्र कासम
3. कुर्शीद शेख पुत्र कासम
4. अब्दुल शेख पुत्र मईनुदीन
5. असलम शेख पुत्र मईनुदीन
6. खुर्शीदा पत्नि मईनुदीन
7. मोहम्मद हुसैन पुत्र मईनुदीन
8. रहीना पत्नि सलेमान जाति शेख मुस्लिम निवासियान होद का दरवाजा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।
9. तहसीलदार कुचामनसिटी (लैंड होल्डर) कुचामनसिटी

**दावा-बंटवारा होल्लिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955**

उपस्थित :- श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीया की ओर से

श्री विजेन्द्र बुगालिया अधिवक्ता प्रति. सं. 1 से 6 की ओर से।

श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 8 की ओर से।

**-:निर्णय :-**

दिनांक :- 19/12/2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/2582 दिनांक 13.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 10.12.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस पर एवं वाद पत्र में दिनांक 27.11.2024 को जारी प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



**उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)**

नजरी नक्शा

गो-दफ्ती	0	0.8760
रहीना	136	0.8760
हुश्रीद		0.8760
लियाकत अली	137	0.8760
अब्दुल, असलम, मो. हुश्रीद, खुश्रीदा		0.8760
शंकी		1.12

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान/खातेदारान व पड़ौसियो ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 का कब्जा काशत होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 137 रकबा 5.50 हैक्टर मे से 1.12 हैक्टर पर वादीया भवरी पुत्री कासम पति भवर जाति शेख सा. मारोठ, (0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 4 अब्दुल शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 5 असलम शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 6 मोहम्मद हुसैन पुत्र मईनुदीन 835/8760 प्रति.सं. 7 खुश्रीदा पत्नि मईनुदीन, 2085/8760), 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 1 लियाकत अली पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 2 मोहम्मद रफीक पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 3 कुशीद शेख पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 8 रहीना पत्नि सलेमान जाति शेख सा. कुचामनसिटी के कब्जे काशत में है। पक्षकारान मौके पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज होकर काशत करते आ रहे है। उभय पक्षकारान



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)

अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

### आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सरगोट पटवार मण्डल सरगोट तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 137 रकबा 5.50 हैक्टर मे से 1.12 हैक्टर पर वादीया भंवरी पुत्री कासम पति भंवर जाति शेख सा. मारोट, (0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 4 अब्दुल शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 5 असलम शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 6 मोहम्मद हुसैन पुत्र मईनुदीन 835/8760 प्रति.सं. 7 खुर्शिदा पत्नि मईनुदीन 2085/8760), 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 1 लियाकत अली पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 2 मोहम्मद रफीक पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 3 कुर्शीद शेख पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 8 रहीना पत्नि सलेमान जाति शेख सा. कुचामनसिटी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 10.12.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I-RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (डोडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 93/2024 GCMS 2024/173

वादीया :-

1. भंवरी पुत्री कासम पत्नी भंवर जाति ईलाई मुस्लिम उम्र 74 वर्ष निवासी मेहरो का मोहल्ला मारोट तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

प्रतिवादीगण :-

1. लियाकत अली पुत्र कासम
2. मोहम्मद रफीक पुत्र कासम
3. कुशीद शेख पुत्र कासम
4. अब्दुल शेख पुत्र मईनुदीन
5. असलम शेख पुत्र मईनुदीन
6. खुशीदा पत्नि मईनुदीन
7. मोहम्मद हुसैन पुत्र मईनुदीन
8. रहीना पत्नि सलेमान जाति शेख मुस्लिम निवासियान होद का दरवाजा, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।
9. तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा-बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी..... मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री विजेन्द्र बुगालिया एवं श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सरगोठ पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 137 रकबा 5.50 हैक्टर मे से 1.12 हैक्टर पर वादीया भंवरी पुत्री कासम पति भंवर जाति शेख सा. मारोट, (0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 4 अब्दुल शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 5 असलम शेख पुत्र मईनुदीन 2920/8760 प्रति. सं. 6 मोहम्मद हुसैन पुत्र मईनुदीन 835/8760 प्रति.सं. 7 खुशीदा पत्नि मईनुदीन 2085/8760), 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 1 लियाकत अली पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 2 मोहम्मद रफीक पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रतिवादी सं. 3 कुशीद शेख पुत्र कासम, 0.8760 हैक्टर पर प्रति. सं. 8 रहीना पत्नि सलेमान जाति शेख सा. कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 10.12.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। निज ..... मुबलिंग ..... वाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.  
क्रमांक/कोर्ट/2024/521 दिनांक:- 26/12/2024

प्रेषित :- तहसीलदार  
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 93/2024 GCMS 2024/173 भंवरी पुत्री कासम बनाम लियाकत  
अली शेख वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

-x-x-x-x-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के 93/2024 GCMS  
2024/173 भंवरी पुत्री कासम बनाम लियाकत अली शेख वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश  
की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए राजस्व  
नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)